बिहार सरकार

GOVERNMENT OF BIHAR

बजट पत्रों का
संक्षिप्त परिचय

KEY TO THE BUDGET DOCUMENTS

2011-2012

फरवरी/February, 2011

वित्त विभाग

FINANCE DEPARTMENT

बजट-पत्रों का संक्षिप्त परिचय

भारत के संविधान में कहीं भी ''बजट'' शब्द का प्रयोग नही हुआ है । संविधान में ''बजट'' के लिए ''वार्षिक वित्तीय विवरण'' शब्द का प्रयोग हुआ है ।

वार्षिक वित्तीय विवरण

1. संविधान के अनुच्छेद 202 के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, बिहार सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होता है । ''वार्षिक वित्तीय विवरण'' नामक यह विवरण राज्य सरकार का मुख्य बजट-दस्तावेज है । वार्षिक वित्तीय विवरण में सरकार की प्राप्तियों और अदायगियों को तीन भागों में, जिनमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं, दिखाया जाता है । ये भाग इस प्रकार हैं:- **(i)** समेकित निधि, **(ii)** आकस्मिकता निधि और **(iii)** लोक लेखा ।

समेकित निधि

2. सरकार को प्राप्त होने वाले सभी राजस्व, सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऋण और उसके द्वारा दिए गए ऋणों की वसूलियों से प्राप्त धनराशियां ''**समेकित निधि**'' का रूप ले लेते हैं । सरकार का पूरा खर्च समेकित निधि से किया जाता है और विधानमंडल की स्वीकृति के बिना इस निधि में से कोई भी रकम नहीं निकाली जा सकती ।

आकस्मिकता निधि

3. कभी-कभी ऐसे अवसर भी आते हैं जब सरकार को विधानमंडल की स्वीकृति मिलने के पहले ही अत्यावश्यक अप्रत्याशित खर्च करना पड़ता है । इस तरह का खर्च करने के लिए **आकस्मिकता निधि** अग्रदाय के रूप में राज्यपाल के पास रहती है । इस तरह के खर्च और समेकित निधि से उतनी ही रकम की निकासी के लिए बाद में विधानमंडल की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाती है और आकस्मिकता निधि से खर्च की गई धनराशि निधि में वापस डाल दी जाती है । इस समय इस निधि के लिए विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत स्थायी काय 350 करोड़ रूपये है ।

लोक लेखा

4. सरकार की सामान्य प्राप्तियों और व्यय के अतिरिक्त, जिनका सम्बन्ध समेकित निधि से होता है, सरकारी लेखों में कुछ अन्य लेन-देनों जैसे कि भविष्य निधियों के सम्बन्ध में लेन-देन, अल्प बचत संग्रह, अन्य जमा आदि, का हिसाब भी रखा जाता है जिनके सम्बन्ध में सरकार लगभग एक बैंकर के रूप में कार्य करती है । इस तरह जो रकमें प्राप्त होती हैं उन्हें **लोक लेखे** में दिखाया जाता है और सम्बन्धित संवितरण भी इसी में से किया जाता है । आम तौर से लोक लेखा

निधियां सरकार की नहीं होती, क्योंकि इस धनराशि को किसी न किसी समय उन व्यक्तियों या प्राधिकारियों को, जो इसे जमा कराते हैं, वापस देना होता है । इसलिए लोक लेखे से अदायगी करने के लिए विधानमंडल की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होता ।

''वार्षिक वित्तीय विवरण'' तीन विवरण में विभाजित है । विवरण - । बिहार की समेकित निधि में प्राप्तियां एवं संवितरण, विवरण-।। बिहार की आकस्मिकता निधि - निवल तथा विवरण-।।। बिहार का लोक लेखा खाता में प्राप्तियां एवं संवितरण से संबंध रखता है ।

विवरण-। - बिहार की समेकित निधि- राजस्व खाता - प्राप्तियां

(क) कर राजस्व,

(ख) करेत्तर राजस्व,

(ग) सहायता अनुदान और अंशदान ।

विवरण-। - बिहार की समेकित निधि- राजस्व खाता - संवितरण

(क) सामान्य सेवाएँ,

(ख) सामाजिक सेवाएँ,

(ग) आर्थिक सेवाएँ

(घ) सहायता अनुदान और अंशदान ।

विवरण-। - बिहार की समेकित निधि- पूँजी खाता - प्राप्तियां

(क) लोक ऋण,

(ख) उधार और अग्रिम ।

विवरण-। - बिहार की समेकित निधि- पूँजी खाता - संवितरण

(क) सामान्य सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

(ख) सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

(ग) आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

(घ) लोक ऋण

(ङ) ऋण एवं अग्रिम

विवरण-I(क) - बिहार की समेकित निधि पर ''भारित'' संवितरण

विवरण-II- बिहार की आकस्मिकता निधि - निवल

विवरण-III- बिहार का लोक लेखा खाता - प्राप्तियां एवं संवितरण

(क) राष्ट्रीय लघु बचत निधि

(ख) राज्य भविष्य निधि और अन्य खाते

(ग) प्रारक्षित निधियां

(घ) जमा राशियां और अग्रिम

(ड़) उचन्त और विविध

(च) प्रेषित रकमें

बजट भाषण

5. ''बजट भाषण'' मुख्यतः एक नीतिगत दस्तावेज है। जिसमें वित्त मंत्री राज्य सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला जाता है ।

संविधान के अनुसार, बजट में राजस्व खाते के व्यय को अन्य व्यय से अलग दिखाना होता है । इसलिए सरकार का बजट (i) राजस्व बजट और (ii) पूंजी बजट, दो भागों में बंटा होता है ।

राजस्व बजट

6. राजस्व बजट में सरकार को राजस्व (कर-राजस्व और अन्य राजस्व) से होने वाली आय तथा इन राजस्वों से किया जाने वाला व्यय शामिल होता है । (i) **राजस्व प्राप्तियां** के अन्तर्गत कर तथा गैर-कर राजस्व को शामिल किया जाता हैं । कर राजस्व में राज्य द्वारा लगाए गए करों, केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा और कुछ अन्य शुल्कों से प्राप्त होने वाली प्राप्तियां शामिल होती हैं । वार्षिक वित्तीय विवरण में दर्शाए गए राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों में वित्त विधेयक में किए गए कराधान संबंधी प्रस्तावों का प्रभाव शामिल होता है । सरकार की अन्य प्राप्तियों में मुख्यतः उसके द्वारा निवेशित पूंजी पर ब्याज और लाभांश, शुल्क तथा सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए अन्य प्राप्तियां शामिल होती हैं । (ii) **राजस्व व्यय** वे व्यय हैं जो सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं को सामान्य रूप से चलाने, विगत वर्षों में सरकार द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज अदायगी, आर्थिक सहायता आदि पर होता है । मोटे तौर पर ऐसे व्यय जिससे अर्थव्यवस्था में किसी परिसम्पत्ति या पूंजी का सृजन नहीं होता, राजस्व व्यय माना जाता है ।

पूंजी बजट

7. पूंजी बजट में पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय शामिल होते हैं । **पूंजीगत प्राप्तियों** की मुख्य मदें हैंः- सरकार द्वारा जनता से लिए गए ऋण जिन्हें बाजार ऋण कहा जाता है, केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले ऋण और अन्य पक्षों से लिए जाने वाले ऋण एवं अन्य पक्षों को दिए गए ऋणों की वसूलियां । **पूंजीगत व्यय** में मदें शामिल होती हैंः- जमीन, इमारतों, मशीनों, उपकरणों जैसी परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण पर किया जाने वाला पूंजी व्यय और शेयरों आदि में लगाई जाने वाली पूंजी तथा सरकारी कम्पनियों, निगमों और अन्य पार्टियों आदि को बिहार राज्य द्वारा दिए जाने वाले ऋण और अग्रिम ।

लेखाओं का वर्गीकरण

8. वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राप्तियों और संवितरणों के अनुमान तथा अनुदानों की मांगों में व्यय के अनुमान जो संविधान के अनुच्छेद 150 के अन्तर्गत विहित लेखाओं के वर्गीकरण की प्रणाली के अनुसार दिखाए जाते हैं । इस वर्गीकरण का उद्देश्य विधानमंडल और जनता को संसाधनों के आवंटन और खर्च करने में सरकार के उद्देश्य को समझने में सहायता देना है ।

9. संविधान के अनुसार, खर्च की कुछ मदें, जैसे राज्यपाल की परिलब्धियां, विधान मंडल के सभापति और उप-सभापति तथा विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन, सरकार द्वारा लिए गए ऋणों के ब्याज और उनकी वापसी-अदायगियों और अदालती डिक्रियों के सम्बन्ध में की गई अदायगियां आदि समेकित निधि पर भारित होती हैं और इन्हें विधान सभा द्वारा स्वीकृति देने की आवश्यकता नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण में **समेकित निधि पर भारित खर्च** को अलग से दिखाया जाता है ।

अनुदानों की मांगें

10. समेकित निधि से किए जाने वाले व्यय के अनुमान वार्षिक वित्तीय विवरण में सम्मिलित किया जाता है तथा विधान सभा द्वारा स्वीकृत किए जाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है । संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में अनुदानों की मांगों के रूप में सामान्यतः प्रत्येक विभाग के सम्बन्ध में अनुदान की एक मांग प्रस्तुत की जाती है । प्रायः प्रत्येक मांग में एक सेवा के लिए आवश्यक कुल व्यय की व्यवस्था की जाती है अर्थात् इसमें राजस्व से किया जाने वाला व्यय, पूंजी व्यय, राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान और उस सेवा के सम्बन्ध में ऋणों और अग्रिमों के लिए की गई व्यवस्था शामिल होती है । जिन मामलों में किसी सेवा से संबद्ध व्यवस्था पूर्ण रूप से समेकित निधि पर भारित व्यय के लिए होती है, जैसे ब्याज की अदायगियां, तो उस व्यय के लिए, मांग से भिन्न, एक अलग विनियोग प्रस्तुत किया जाता है और उस पर विधानमंडल द्वारा स्वीकृति लिए जाने

की आवश्यकता नहीं होती । किन्तु किसी ऐसे सेवा व्यय के मामले में, जिसमें मतदेय एवं भारित दोनों मदें शामिल हों, उस सेवा के लिए प्रस्तुत की जाने वाली मांग में भारित व्यय भी शामिल कर लिया जाता है लेकिन मतदेय और भारित व्यवस्थाएं उस मांग में अलग-अलग दिखाई जाती हैं।

11. अनुदानों की मांगें वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ विधान सभा में प्रस्तुत की जाती हैं । प्रत्येक मांग में मतदेय और भारित व्यय तथा साथ ही मांग में सम्मिलित राजस्व और पूंजी व्यय के अलग-अलग जोड़ दिखाए जाते हैं तथा इसके अलावा जिस खर्च के लिए मांग प्रस्तुत की जाती है उसका कुल जोड़ भी इसमें दिखाया जाता है । इसके बाद विभिन्न मुख्य लेखा शीर्षों के अन्तर्गत व्यय के अनुमान दिए जाते हैं । प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत व्यय का आयोजना और आयोजना-भिन्न, अलग-अलग विवरण भी दिया जाता है । यथावश्यक लेखों में व्यय में से घटाई गई वसूलियां भी दिखाई जाती हैं । पुस्तक के प्रारम्भ में अनुदानों की मांगों का सारांश दिया जाता है ।

वित्त विधेयक

12. विधान मंडल के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते समय संविधान के अनुच्छेद 199(1)(क) के अभिष्ट को पूरा करने के लिए वित्त विधेयक भी प्रस्तुत किया जाता है जिसमें बजट में प्रस्तावित कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्त्तन अथवा विनियमन का ब्यौरा दिया जाता है। जैसा की संविधान के अनुच्छेद 199 में परिभाषित है, वित्त विधेयक एक धन विधेयक है । इसके साथ ही इसमें शामिल उपबंधों की व्याख्या करने वाला एक ज्ञापन होता है ।

वित्त विधेयक के उपबंधों की व्याख्या करने वाला ज्ञापन

13. संविधान की शर्तों के अनुसार प्रस्तुत किए जाने वाले बजट दस्तावेजों के संबंध में कुछ विशेष कानूनी और प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं पूरी करनी होती हैं और इसलिए केवल उनके द्वारा बजट की प्रमुख विशेषताओं का स्पष्ट संकेत नहीं दिया जा सकता । बजट के सरल बोध को सुविधाजनक बनाने के लिए बजट के साथ कतिपय अन्य व्याख्यात्मक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं ।

बजट का सार

14. बजट का सार नामक पुस्तक में, कर-राजस्व और अन्य प्राप्तियों के विस्तृत ब्यौरे के साथ-साथ, प्राप्तियों और भुगतानों का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है । दस वर्षों की प्राप्ति एवं व्यय की प्रवृति और राज्य सरकार के वित्त के कालबद्ध आंकड़े एवं प्रतिबद्ध व्यय प्रदर्शित किये जाते हैं । इस पुस्तक में व्यय, आयोजना और आयोजना-भिन्न का विस्तृत विवरण, आयोजना परिव्यय का क्षेत्रवार तथा विभाग वार प्रावधान और केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को अन्तरित किए गए साधनों का ब्यौरा भी दिया जाता है । इस पुस्तक में राजस्व घाटा/राजस्व बचत और राज्य सरकार का सकल राजकोषीय घाटा भी दिखाया जाता है । राजस्व व्यय की

तुलना में राजस्व प्राप्ति अधिक होती है तो **राजस्व बचत** होता है । राजस्व प्राप्तियों की तुलना में अधिक राजस्व व्यय सरकार का **राजस्व घाटा** होता है । इस प्रकार राजस्व घाटा = (कर राजस्व + गैर-कर राजस्व) - (आयोजन राजस्व व्यय + गैर आयोजन राजस्व व्यय) । सरकार कई स्कीमों के अधीन उधार लेती है, जो पूंजी प्राप्तियों का भाग बनता है । एक ओर, राजस्व, पूंजी और वापसी-अदायगियों को घटाकर ऋणों के द्वारा सरकार के कुल व्यय और दूसरी ओर, सरकार की राजस्व प्राप्तियां और पूंजी प्राप्तियां, जिनका स्वरूप उधार का नहीं होता परन्तु जो अन्तिम रूप से सरकार को प्राप्त होती हैं, के बीच का अन्तर **सकल राजकोषीय घाटा** होता है । इस प्रकार **राजकोषीय घाटा = आंतरिक ऋण तथा अन्य देयतायें + विदेशी ऋण + रिजर्व बैंक से प्राप्त ऋण** । **प्राथमिक (मूल) घाटा** सकल राजकोषीय घाटा में से ब्याज दायित्व को घटाने से प्राप्त होता हैं ।

प्राप्ति बजट

15. वार्षिक वित्तीय विवरण में सम्मिलित प्राप्तियों के अनुमानों का ''प्राप्ति बजट'' प्रलेख में पुनः विश्लेषण किया जाता है। यह प्रलेख कर एवं कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों और पूंजी प्राप्तियों का ब्यौरा प्रदान करता है और अनुमानों को स्पष्ट करता है । इस प्रलेख में राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले ऋणों एवं दिये गये ऋणों की वसूलीयाँ की विस्तृत सूचना अंकित की जाती है ।

आयोजना भिन्न पुस्तिका

16. इस पुस्तिका में गैर योजना व्यय का व्यौरा रहता है । आयोजना भिन्न मद में प्रत्येक उपशीर्ष में मुख्य शीर्षवार कितनी राशि प्रावधानित की गयी है, का उल्लेख रहता है । राशि का व्यय किस विभाग के माध्यम से किया जायेगा, उससे संबंधित मांग संख्या का उल्लेख उसमें अंकित रहता है ।

गैर-योजना व्यय विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पूरी की गयी योजनाओं अथवा कार्यक्रमों के रख-रखाव तथा भावी संचालन व्यय हेतु आवश्यक व्यय है । गैर-योजना व्यय को भी दो भागों में बांटा जाता है - गैर-योजना राजस्व व्यय तथा गैर-योजना पूंजीगत व्यय । **गैर योजनागत राजस्व व्यय** को मोटे तौर पर चार वर्गों में बांटा जा सकता हैः- सामान्य सेवाओं पर व्यय, सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, आर्थिक सेवाओं पर व्यय तथा अन्य अनावंटनीय व्यय । अनावंटनीय व्ययों में तीन प्रमुख व्यय हैंः- (क) ब्याज अदायगी (ख) सुरक्षा तथा (ग) सब्सिडीज । **गैर-योजनागत पूंजीगत व्ययों** को चार भागों में ब्रांटा जा सकता हैंः- सामान्य सेवाओं पर, सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय तथा ऋण तथा अग्रिमों के रूप में भुगतान ।

आयोजना पुस्तिका

17. इस पुस्तिका में राज्य योजना, केन्द्र प्रायोजित योजना एवं केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के अंतर्गत व्यय होने वाली राशि का प्रावधान किया जाता है । केन्द्र प्रायोजित योजना एवं केन्द्रीय योजनागत योजना में सिर्फ वैसी राशि सम्मिलित होती है, जो राज्य के समेकित निधि में प्राप्त होती है । पुस्तिका में प्रत्येक उपशीर्ष में मुख्य शीर्षवार कितनी राशि प्रावधानित की गयी है, का उल्लेख रहता है । राशि का व्यय किस विभाग के माध्यम से किया जायेगा, उससे संबंधित मांग संख्या का उल्लेख उसमें अंकित है ।

योजना व्यय संपूर्ण व्यय का ऐसा भाग है जिसका उपयोग किसी खास योजना, पंचवर्षीय योजनाबद्ध की योजनाओं तथा कार्यक्रमों अथवा पिछली योजनाओं के अधुरे कार्यभारों को पूरा करने हेतु किया जाता है । योजना व्यय को दो भागों में बांटा जाता है - योजना राजस्व व्यय तथा योजना पूंजीगत व्यय ।

लोक ऋण एवं गारंटी का ब्यौरा

18. राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में लिये गये कुल ऋण की सूचना अंकित होती है । विभिन्न उपक्रमों द्वारा लिये गये ऋण, जिसपर राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी गयी है, इसकी सूचना अंकित है । लोक ऋण पुस्तिका में वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में वापस किये जाने वाले ऋणों एवं उनपर होने वाले ब्याज की विस्तृत सूचना उपलब्ध करायी गयी है ।

नई योजनाएँ की विवरणी

19. इस पुस्तिका में राज्य सरकार द्वारा जो नई योजनाएँ वित्तीय वर्ष 2011-12 में शुरू की जायेगी और उन परियोजनाओं पर क्या व्यय होगा, का उल्लेख किया जाता है । इसके अतिरिक्त किसी उपशीर्ष में अगर किसी नए विषय शीर्ष में राशि उपलब्ध करायी जा रही है तो उसका उल्लेख भी अंकित रहता है ।

विकास व्यय

20. विकास व्यय सामाजिक एवं आर्थिक पूंजी के नये सड़कों, पुलों, भवनों आदि के निर्माण, उपकरणों की खरीद आदि अधिसंरचनाओं के लिए सरकार द्वारा किया गया व्यय है । सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं पर हुए व्यय को इस श्रेणी में रखा जाता है ।

गैर-विकास व्यय

21. गैर-विकास व्यय वे हैं जिनका उपयोग किसी विकास गतिविधि में नहीं होता है । सामान्य सेवाओं के व्यय को गैर-विकास व्यय के श्रेणी में रखा जाता हैं ।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

22 किसी राज्य में वर्ष भर में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य । यह उल्लेखनीय है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का मूल्यांकन राज्य में उत्पादित

वस्तुओं व सेवाओं के आधार पर किया जाता है, भले ही उसमें विदेशी संस्थाओं का भी योगदान निहित हो ।

जेन्डर बजट

23. बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 के बजट के साथ जेन्डर बजट के प्रस्तुतिकरण का निर्णय लिया गया है । राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आर्थिक उन्नति के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है । इस प्रयास से बजट में महिलाओं के लिए किये जा रहे प्रावधान की जानकारी उपलब्ध हो सकेगी ।

जेन्डर बजट के माध्यम से सरकार की नीतियों एवं महिलाओं के लिए बजट के माध्यम से वित्तीय संसाधनों को उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता में सामंजस्य स्थापित किया जायेगा । वर्ष 2008-09 के बजट में बिहार सरकार द्वारा 10 विभागों में जेन्डर बजटिंग की शुरूआत की गई है ।

परिणाम बजट

24. सरकार द्वारा वित्तीय प्रावधानों के माध्यम से महत्वपूर्ण भौतिक परिणाम दर्शाने वाली विवरणी ''परिणाम बजट'' की पहल वित्तीय वर्ष 2006-07 से की गई । यह एक ऐसा व्यय पूर्व माध्यम है, जिससे व्यय के पश्चात् समीक्षा द्वारा व्यय की उपयोगिता का आकलन किया जा सकता है । परिणाम बजट के माध्यम से आम जनता को संभावित परिणामों की जानकारी मिलती है और सरकार की वित्तीय संव्यवहारों में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित किया जा सकता है ।

वित्त आयोग

25. भारत में आंचलिक विषमता तथा प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण है और इसके परिणामस्वरूप राज्यों की संसाधन संग्रह की क्षमता में भी अंतर है। इस कारण राज्यों के पास उपलब्ध संसाधन तथा नियत उत्तरदायित्व एक-दूसरे से मेल नहीं खाते। संविधान निर्माता इस स्थिति से अवगत थे और वित्त आयोगों के नियमित गठन के जरिये उन्होंने एक तंत्र का निर्माण किया जो स्थिति की समीक्षा करे और केंद्र से राज्यों को संसाधनों का इस प्रकार अंतरण करे कि वे संविधान द्वारा प्रदत्त अपनी जवाबदेही का अधिक उपयुक्त ढंग से निर्वाह कर सके। इस लिहाज से वित्त आयोग (विविध प्रावधान) अधिनियम, 1951 के अनुसरण में एक संवैधानिक निकाय है जिसके जरिये समीक्षा तथा संसाधनों का अंतरण होता है। तेरहवें वित्त आयोग ने राज्यों के लिये केन्द्रीय करों की शुद्ध प्राप्ति के विभाजनीय पूल से 32 प्रतिशत हिस्से की अनुशंसा की है। तेरहवें वित्त आयोग (2010-2015) ने विभाजनीय निवल केन्द्रीय करों का राज्यों के बीच बंटवारे का आधार तथा उनका भार 25 प्रतिशत जनसंख्या, 10 प्रतिशत क्षेत्रफल, 47.5 प्रतिशत राजकोषीय

क्षमता दूरी, एवं 17.5 प्रतिशत राजकोषीय अनुशासन को माना है। तेरहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सेवा कर को छोड़कर कुल वितरण योग्य पूल में बिहार राज्य का प्रतिशत 10.917 है। सेवा कर में बिहार राज्य का प्रतिशत 11.089 है ।

वार्षिक रिपोर्ट

26. प्रत्येक विभाग के कार्यकलापों का विस्तृत लेखा वार्षिक रिपोर्ट प्रलेख में दिया जाता है, जो प्रत्येक विभाग द्वारा अलग से तैयार किया जाता है और विधान सभा के माननीय सदस्यों को अनुदानों की मांगों पर विचार-विमर्श के समय परिचालित किया जाता है ।

आर्थिक सर्वेक्षण

27. आर्थिक सर्वेक्षण पुस्तिका राज्य के आर्थिक-जीवन को प्रतिबिम्बित करता है । आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य की आर्थिक प्रवृत्तियों को प्रदर्शित किया जाता है, जिससे बजट में संसाधन जुटाने और उनके आवंटन का बेहतर मुल्यांकन करने में सुविधा होती है । आर्थिक सर्वेक्षण कृषि और औद्योगिक उत्पादन, आधारभुत ढांचों, रोजगार और ऐसे अन्य संगत आर्थिक कारकों से संबंधित प्रवृत्तियों का विश्लेषण करती है, जिसका बजट पर प्रभाव पड़ता है, और इसे आगामी वर्ष का बजट प्रस्तुत करने से पहले विधान मंडल में प्रस्तुत किया जाता है ।

विनियोग विधेयक

28. विधान सभा द्वारा अनुदानों की मांगों के पारित होने के बाद, इस प्रकार पारित राशियों और समेकित निधि पर भारित व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि को समेकित निधि से निकालने की विधान मंडल की स्वीकृति विनियोग विधेयक के माध्यम से मांगी जाती है । संविधान के अनुच्छेद 204(3) के अन्तर्गत विधान मंडल द्वारा ऐसा कानून बनाए बिना कोई भी राशि समेकित निधि से नहीं निकाली जा सकती ।

लेखानुदान

29. बजट प्रस्तुत करने से लेकर अनुदान मांगों पर बहस एवं मतदान की संपूर्ण प्रक्रिया के लिए पर्याप्त लंबी अवधि की आवश्यकता होती है । विधान सभा द्वारा मांगों के पारित होने की प्रक्रिया पूर्ण होने तक वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए अनुमानित व्यय के संबंध में अग्रिम स्वीकृति दी जाती है तो उसे लेखानुदान कहा जाता है । अगर प्रक्रिया को पुरा कर विनियोग विधेयक पर स्वीकृति 31 मार्च के पूर्व ले ली जाती है तो उसे **''पूर्ण बजट''** पारित हुआ के रूप में जाना जाता है ।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006

30. यह अधिनियम राजकोषीय स्थायित्व और वहनीयता सुनिश्चित करने और राजस्व घाटा के उत्तरोत्तर समापन, राजकोषीय घाटे में कमी, वित्तीय वहनीयता से संगत विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन, वित्तीय कार्यकलापों में अधिकाधिक पारदर्शिता, मध्यकालिक राजकोषीय रूपरेखा के आलोक में राजकोषीय नीति के संचालन द्वारा सामाजिक और भौतिक अवसंरचना तथा मानव विकास के अवसरों में वृद्धि के संबंध राज्य सरकार के उत्तरदायित्व और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए उपवंध करने हेतु लागू किया गया ।

मध्यावधि राजकोषीय नीति संबंधी विवरण

31. जैसा की राजकोषीय नीति एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (एफ.आर.बी.एम. अधिनियम) में आदेशित किया गया है, मध्यावधि राजकोषीय नीति संबंधी विवरण में अन्तर्निहित पूर्वानुमानों सहित विशेष राजकोषीय संकेतकों के लिए तीन वर्षीय आवर्ती लक्ष्य निर्धारित किया जाता है । इस विवरण में राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन से संबंधित निरन्तरता का मूल्यांकन और उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए बाजार उधारों सहित पूंजी प्राप्तियों के उपयोग को शामिल किया जाता है ।

राजकोषीय नीति के कार्य योजना विवरण

32. जैसा कि राजकोषीय नीति एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा अधिदेशित किया गया है, राजकोषीय नीति के कार्य योजना विवरण में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कराधान, व्यय, उधार लेने और निवेश करने, प्रशासित मूल्य निर्धारण, उधारों और गारंटियों से संबंधित राज्य सरकार की नीतियां शामिल हैं । इसमें राजकोषीय क्षेत्र में सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए साथ ही चालू नीतियां किस प्रकार राजकोषीय प्रबंधन सिद्धांतों के अनुरूप हैं तथा महत्वपूर्ण राजकोषीय उपायों में कोई भारी बदलाव लाने का औचित्य क्या है, इस पर भी विचार किया जाता है ।

बृहत-आर्थिक रूपरेखा विवरण

33. जैसा कि एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम द्वारा अधिदेशित किया गया है, बृहत-आर्थिक रूपरेखा संबंधी विवरण में अन्तर्निहित पूर्वानुमानों सहित अर्थव्यवस्था की वृद्धि की संभावनाओं का मूल्यांकन शामिल है । इसमें सकल राज्य घरेलू उत्पाद विकास दर और राज्य सरकार का राजकोषीय संतुलन से संबंधित अनुमान शामिल हैं ।

भारत संविधान से बजट संबंधी मुख्य अनुच्छेदों का उद्धरण

202. वार्षिक वित्तीय विवरण-(1) राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस राज्य की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा जिसे इस भाग में ''वार्षिक वित्तीय विवरण'' कहा गया है ।

(2) वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए गए व्यय के प्राक्कलनों में-

(क) इस संविधान में राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वर्णित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां, और

(ख) राज्य की संचित निधि में से किए जाने के लिए प्रस्थापित अन्य व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां, पृथक्-पृथक् दिखाई जाएंगी और राजस्व लेखे से होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जाएगा ।

(3) निम्नलिखित व्यय प्रत्येक राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होगा, अर्थात्:-

(क) राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय;

(ख) विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा विधान परिषद् वाले राज्य की दशा में विधान परिषद् के सभापति और उपसभापति के भी वेतन और भत्ते;

(ग) ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व राज्य पर है, जिनके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप निधि भार और मोचन भार तथा उधार लेने और ऋण सेवा और ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय हैं;

(घ) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनों और भत्तों के संबंध में व्यय;

(ड०) किसी न्यायालय या माध्यस्थम् अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियाँ;

(च) कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा या राज्य के विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा, इस प्रकार भारित घोषित किया जाता है।

203. विधान-मंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रियाः- (1) प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित हैं वे विधान सभा में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे, किंतु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह विधान-मंडल में उन प्राक्कलनों में से किसी प्राक्कलन पर चर्चा को निवारित करती है ।

(2) उक्त प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन अन्य व्यय से संबंधित हैं वे विधान सभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखे जाएंगे और विधान सभा को शक्ति होगी कि वह किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से इंकार कर दे अथवा किसी मांग को, उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके, अनुमति दे ।

(3) किसी अनुदान की मांग राज्यपाल की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं ।

204. विनियोग विधेयकः- (1) विधान सभा द्वारा अनुच्छेद 203 के अधीन अनुदान किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य की संचित निधि में से-

(क) विधान सभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की, और

(ख) राज्य की संचित निधि पर भारित, किंतु सदन या सदनों के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दर्शित रकम से किसी भी दशा में अनधिक व्यय की, पूर्ति के लिए

अपेक्षित सभी धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए विधेयक पुरःस्थापित किया जाएगा ।

(2) इस प्रकार किए गए किसी अनुदान की रकम में परिवर्तन करने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय की रकम में परिवर्तन करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन, ऐसे किसी विधेयक में राज्य के विधान-मंडल के सदन में या किसी सदन में प्रस्थापित नहीं किया जाएगा और पीठासीन व्यक्ति का इस बारे में विनिश्चय अंतिम होगा कि कोई संशोधन इस खंड के अधीन अग्राह्य है या नहीं ।

(3) अनुच्छेद 205 और अनुच्छेद 206 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य की संचित निधि में से इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार पारित विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन ही कोई धन निकाला जाएगा, अन्यथा नहीं ।

205. अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदानः- (1) यदि-

(क) अनुच्छेद 204 के उपबंधों के अनुसार बनाई गई किसी विधि द्वारा किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई रकम उस वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पाई जाती है या उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में अनुध्यात न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यकता पैदा हो गई है, या

(ख) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस वर्ष और उस सेवा के लिए अनुदान की गई रकम से अधिक कोई धन व्यय हो गया है,

तो राज्यपाल, यथास्थिति, राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राक्कलित रकम को दर्शित करने वाला दूसरा विवरण रखवाएगा या राज्य की विधान सभा में ऐसे आधिक्य के लिए मांग प्रस्तुत करवाएगा ।

(2) ऐसे किसी विवरण और व्यय या मांग के संबंध में तथा राज्य की संचित निधि में से ऐसे व्यय या ऐसी मांग से संबंधित अनुदान की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में भी, अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 203 और अनुच्छेद 204 के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे वे वार्षिक वित्तीय विवरण और उसमें वर्णित व्यय के संबंध में या किसी अनुदान की किसी मांग के संबंध में और राज्य की संचित निधि में से ऐसे व्यय या अनुदान की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी हैं ।

280. वित्त आयोगः-(1) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से दो वर्ष के भीतर और तत्पश्चात् प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वतर समय पर, जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है, आदेश द्वारा, वित्त आयोग का गठन करेगा जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा ।

(2) संसद, विधि द्वारा, उन अर्हताओं का, जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होंगी और उस रीति का, जिससे उनका चयन किया जाएगा, अवधारण कर सकेगी ।

(3) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह-

(क) संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के, जो इस अध्याय के अधीन उनमें विभाजित किए जाने हैं या किए जाएं, वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आवंटन के बारे में,

(ख) भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में,

(ग) सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में, राष्ट्रपति को सिफारिश करे ।

(4) आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा और अपने कृत्यों के पालन में उसे ऐसी शक्तियां होंगी जो संसद, विधि द्वारा, उसे प्रदान करे ।